भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 775

गुरूवार, 8 फरवरी, 2024/19 माघ, 1945 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देना

775 श्रीमती महुआ माजी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा लद्दाख में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने लद्दाख में सभी निषिद्ध क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए सुलभ बनाने की योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो इन निषिद्ध क्षेत्रों में पर्यटकों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पर्यटन मंत्रालय ने लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

i. 'स्वदेश दर्शन' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत पर्यटन संबंधी अवसंरचना विकास के लिए परियोजनाएं स्वीकृत की गईं । लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में उपर्युक्त योजनाओं के तहत विभिन्न घटकों के साथ स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

   क. स्वदेश दर्शन योजना के तहत 'जम्मू-श्रीनगर-पहलगाम-भगवती नगर-अनंतनाग-सलामाबाद, उरी-कारगिल-लेह का विकास'- कुल परियोजना लागत 77.33 करोड़ रु. है, जिसमें लद्दाख में कारगिल और लेह में 13.43 करोड़ रु. की राशि से पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है । इस परियोजना को वर्ष 2016-17 में मंजूरी दी गई थी ।

   ख. स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अनंतनाग-पुलवामा-किश्तवार-पहलगाम-जांस्कर पदुम-दक्सुम-रंजीत सागर बांध में पर्यटक सुविधाओं का विकास - कुल परियोजना लागत 86.39 करोड़ रु. है जिसमें 9.45 करोड़ रु. की राशि से लद्दाख के

जांस्कर-पदुम में पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है । इस परियोजना को वर्ष 2016-17 में मंजूरी दी गई थी ।

ग. स्वदेश दर्शन योजना के तहत गुलमर्ग-बारामूला-कुपवाड़ा-कारगिल - लेह में पर्यटक सुविधाओं का विकास - कुल परियोजना लागत 91.84 करोड़ रु. है जिसमें 37.64 करोड़ रु. की राशि से लद्दाख में कारगिल और लेह में पर्यटक सुविधाओं का विकास शामिल है । इस परियोजना को वर्ष 2016-17 में मंजूरी दी गई थी ।

घ. वर्ष 2020-21 के दौरान 23.22 करोड़ रु. की राशि से पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत लेह, लद्दाख में साउंड एंड लाइट शो और पर्यटक सुविधा केंद्र, कारगिल, लद्दाख में वाटर स्क्रीन प्रोजेक्शन मल्टीमीडिया शो ।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदार स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी2.0) का नया रूप दिया है । एसडी2.0 के अंतर्गत लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में विकास हेतु स्थलों के रूप में'लेह' और 'कारगिल' की पहचान की गई है ।

iii. वर्ष 2019-20 के दौरान, आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार (डीपीपीएच) योजना के तहत 15.00 लाख रु. की राशि से 'लोसर महोत्सव' आयोजित करने के लिए लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ।

iv. पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत वेबसाइट पर और पर्यटन मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख और इसके विभिन्न पर्यटन उत्पादों का प्रचार करता रहा है । यह मंत्रालय विदेशों में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेलों और प्रदर्शनियों में भारत मंडप में लद्दाख को दर्शाता रहा है ।

(ख): संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन ने दिनांक 6 अगस्त, 2021 की अधिसूचना एसओ 30 द्वारा घरेलू पर्यटकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता को हटा दिया है । अद्यतन स्थिति के अनुसार एलएसी और एलओसी के साथ लगे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर (सुरक्षा कारणों से) पूरा लद्दाख घरेलू पर्यटकों के लिए खुला है । हालांकि, विदेशियों के लिए संघ राज्यक्षेत्र के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए परमिट अभी भी अपेक्षित है ।

(ग): संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने संबंधित सुरक्षा बलों के सहयोग से सामूहिक रूप से चिह्नित स्थानों पर पुलिस जांच चौकियां स्थापित की हैं । इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन स्वास्थ्य कारणों से और सुरक्षा एवं संरक्षा के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में समय-समय पर एडवाइजरी जारी करता है ।

(घ): प्रश्न नहीं उठता ।

*****